

**समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।**

व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने हेतु वाणिज्य कर विभाग में विभिन्न प्रकार के विभागीय केन्द्रीय फार्मों को आनलाइन डाउन लोड करने की व्यवस्था प्रचलित है। कतिपय व्यापारियों द्वारा आनलाइन फार्म जनरेशन प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण विवरण भरने के कारण गलत फार्म आनलाइन जनरेट कर लिये जाते हैं। तत्पश्चात व्यापारी द्वारा त्रुटिपूर्ण जनरेटेड फार्म को संशोधित कराये जाने का अनुरोध सम्बन्धित कार्यालय से किया जाता है जिन्हे फील्ड कार्यालयों द्वारा मुख्यालय अग्रसारित कर दिया जाता है इससे व्यापारियों को असुविधा एवं विलम्ब का सामना करना पड़ता है। मुख्यालय पर बिना उचित अभिलेखीय जॉच के त्रुटि का निवारण करना भी नियमानुसार उचित नहीं है।

2- अतः व्यापारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण जनरेट किये जा चुके / जनरेट किये गये CST फार्म (फार्म C/H/E1/E2/F/H/I), फार्म-31 तथा शुगर मिल द्वारा प्रयोग किये जाने वाले Entry Form के त्वरित निवारण के दृष्टिगत निम्न प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है:-

1-डीलर के स्तर पर (यह सुविधा डीलर के login पर उपलब्ध है :

- डीलर अपनी ई-सर्विसेस लागिन आई0डी0 से लागिन करने के पश्चात् **सेलेक्ट फार्म** के अन्तर्गत " **Form-C - Form of declaration** " विकल्प चुना जायेगा।
- **Form C Menu** में " **Request Application for Changes in Generated form** " विकल्प पर क्लिक किया जायेगा।
- **Form C Changes Request** Window खुलने पर जिस केन्द्रीय फार्म में संशोधन करना हो उसका Form Number भरकर " **Search** " पर क्लिक किया जायेगा।
- सम्बन्धित केन्द्रीय फार्म का विवरण Screen पर आ जाने के बाद **Edit** विकल्प पर क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात् डीलर केन्द्रीय फार्म के विवरण में वांछनीय संशोधन करें एवं पुनः **Edit** पर क्लिक किया जायेगा। सम्बन्धित केन्द्रीय फार्म में **Edit** का विकल्प फार्म download करने से 02 दिवस तक ही उपलब्ध होगा।
- संशोधित विवरण **Record for updation** grid पर आ जाने के बाद **Finally Save Record for Changes** पर क्लिक किया जायेगा।

सिस्टम द्वारा Application Number जनरेट हो जाने पर डीलर द्वारा **Print Application** पर क्लिक किया जायेगा तथा Application के प्रिंटआउट एवं त्रुटिपूर्ण फार्म की हस्ताक्षरित प्रति के साथ सम्बन्धित खण्डाधिकारी से अनुमोदन हेतु संपर्क करेंगे। इस आवेदन के साथ व्यापारी को यह घोषणा भी करनी आवश्यक होगी कि यह फार्म किसी भी व्यापारी को जारी नहीं किया गया है।

- यह प्रक्रिया CST फार्म (फार्म C/H/E1/E2/F/H/I), फार्म-31 तथा शुगर मिल द्वारा प्रयोग किये जाने वाले Entry Form के लिये अपनायी जायेगी। एक फार्म नम्बर के लिए Edit की सुविधा एक ही बार उपलब्ध होगी।

2- खण्ड अधिकारी के स्तर पर (यह सुविधा Vyas में अधिकारी के login पर उपलब्ध है):

ऑनलाइन जनरेटेड केन्द्रीय फार्मों में कार्यालय स्तर पर approval हेतु विकसित की गयी प्रक्रिया में ज्वाइन्ट कमिश्नर (**कारपोरेट**) स्तर के केन्द्रीय फार्मों का वेरीफिकेशन एवं **Approval** ज्वाइन्ट कमिश्नर (**कारपोरेट**) द्वारा स्वयं किया जायेगा। वाणिज्य कर अधिकारी स्तर के केन्द्रीय फार्मों का **Approval** सम्बन्धित खण्ड के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा, असिस्टेंट कमिश्नर स्तर के केन्द्रीय फार्मों का Approval खण्ड के डिप्टी कमिश्नर द्वारा तथा डिप्टी कमिश्नर स्तर के केन्द्रीय फार्मों का **Approval** सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (**कार्यपालक**) द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

